

कार्यालय आदेश सं... 59/17


श्री जय प्रकाश कौशल पुत्र प्रयाग प्रसाद, वरिष्ठ सहायक लोको पायलट अन्तर्गत डीजल लॉबी वाराणसी को NIP सं या/555/5/18/106 दिनांक 22.05.2017 के द्वारा दीर्घ दण्ड आरोप दिनांक 11.01.2016 के संदर्भ में वमंयाई (ओएण्डएफ) वाराणसी ने इन्हे रेल सेवा के अयोग्य मानते हुए तत्काल प्रभाव से रेल सेवा से हटाये जाने (Removal from Service) का दण्ड पारित किया गया है। जिसके अनुपालन में श्री जय प्रकाश कौशल, वरिष्ठ सहायक लोको पायलट अन्तर्गत डीजल लॉबी वाराणसी को दिनांक 22.05.2017 से रेल सेवा से हटाया जाता है।

उपरोक्त पर वमंयाई (ओएण्डएफ) महोदय का आदेश प्राप्त है।

(सहायक कार्मिक अधिकारी)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
दिनांक 22.05.17

सं का/या/पीसी/जय प्रकाश कौशल/2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वमंयाई (ओएण्डएफ) वाराणसी।
2. वमंविप्र/वाराणसी।
3. मुख्य कू नियंत्रक, डीजल लॉबी- वाराणसी।
4. मुख्य शक्ति नियंत्रक/वाराणसी - कृपया इसकी सूचना तुरन्त डीजल लॉबी वाराणसी को सूचित कराने की व्यवस्था करें।
5. मुख्य कार्याधी/यांत्रिक बिल।
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
7. संबंधित कर्मचारी।
8. मंडल मंत्री नरमू, अजा/अजजा एवं ओबीसी/वाराणसी।
9. अन्य प्रति।


(सहायक कार्मिक अधिकारी)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
वाराणसी